

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1125 /

जबलपुर, दिनांक 14/02/2019

दो-14-109/18

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 25.11.2018 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 32 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर पिता स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-तीन को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1126 /

जबलपुर, दिनांक 14/02/2019

दो-14-109/18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर पिता स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

पता- मकान नं. 1138, धनी की कुटिया के पीछे तीसरी गली, जय प्रकाश नगर
अधारताल जबलपुर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अजय पवार
(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)

:-:-